



21/2/19 फुलकी पेश हुई। उभयपक्षीय अथ
 अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वाणी में
 शर्चना फ्र स्ट्रोक कर निवेदन किया कि ^{शर्चना}
 उपे विपक्ष के महेश राजीनामे की वजह से
 यह रही है इसलिए अ-थपे निवेदा
 का शर्चना फ्र विद्वा कला चाहे है।
 अधिवक्ता विपक्षीय में भी अनापे जह
 की। ^{शर्चना} वाणीगण उपे विपक्षीय की पहचान करने
 अधिवक्ताओं द्वारा की गई। शर्चनागण द्वारा
 शर्चना फ्र विद्वा कला से फुलकी में आगे कोई
 कार्यवही अपेक्षित नहीं है। फुलकी की प्रोसेसिंग
 वही स्तर पर होप की जाती है।

फुलकी केस श्रुमाट होकर नभर लेका
 की जावे।


 A C C M
 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रेक) मावली

